



लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

(विषय वृद्धि का प्रमाण पत्र)



क्रमांक: **CERT0051/2024/DPI6312**

**Bhopal** दिनांक: 19/02/2024

प्रति, **Unittestingschool**

**testing address Arjun**

विषय - विषय वृद्धि प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन क्र. **CERT0051/2024/DPI6312** दिनांक: 19/02/2024 में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला **Bhopal** के द्वारा किये गए परिक्षण के आधार पर हाई स्कूल (HS) स्कूल के विषय वृद्धि आवेदन को मान्यता दी जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

शाला का नाम : **Unittestingschool**

शाला का DISE कोड : **23320126312**

विषय वृद्धि : **Mathematics, SCIENCE, AGRICULTURE, HOME SCIENCE, FINE ART, Vocational, Physics, Chemistry, Subject Name**

1. स्कूल उन्ही कक्षाओं व संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हे मान्यता दी गई है।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण - पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायगा।
3. स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. स्कूल, कार्यक्रम के लिए आवश्यक विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा। विभाग के अधिकारी आक्सिमिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
5. स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पलकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक-शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा।
6. स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके संबंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा।
7. सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी / ट्रस्ट, मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदंडों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते है। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी / ट्रस्ट किन्ही मापदंडों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।
8. यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों, शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम द्रष्टया पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी।
9. कारण बताओ सुचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी / ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह संबंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा।
10. मान्यता के प्रत्याहरण होने पर प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पुन्यतः या अशंतः जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, समाप्त हो जायगी।
11. माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश